न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)
राजस्व आवेदन संख्या :– 80/2021

प्रार्थीगण

1. आसुराम पुत्र खींयाराम उम्र 65 वर्ष
2. जगराम पुत्र हिरकनराम उम्र 54वर्ष
3. तुलछाराम पुत्र खेराजराम उम्र 60वर्ष
4. पुरखाराम पुत्र मंगलाराम उम्र 70वर्ष
5. बुधाराम पुत्र खींयाराम उम्र 75वर्ष
6. भागीरथराम पुत्र खेराजराम उम्र 65वर्ष
7. मोहनलाल पुत्र धनाराम उम्र 43वर्ष
8. श्रीराम पुत्र हिरकनराम उम्र 50वर्ष
9. हरीराम पुत्र खेराजराम उम्र 45वर्ष
10. हरीराम पुत्र खींयाराम उम्र 56वर्ष

सभी जातियान विश्नोई निवासी जाणियों की बेरी पटवार मण्डल राणासर कल्लां तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर, राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. कानाराम पुत्र खेराजराम उम्र 60वर्ष
2. किशनाराम पुत्र भाखराराम उम्र 35वर्ष
3. जेकन पुत्र हाथीराम उम्र 46वर्ष
4. पांचाराम पुत्र खेराजराम उम्र 44वर्ष
5. रुघनाथराम पुत्र धनाराम उम्र 50वर्ष
6. रामकिशन पुत्र खींयाराम उम्र 60वर्ष, जाति विश्नोई, निवासी जाणियों की बेरी पटवार मण्डल राणासर कल्लां तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर, राजस्थान।
7. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे वर्तमान एसबीआई भूणिया।
8. शाखा प्रबंधक भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा
9. राज्य सरकार जरिये :–
   9/1 तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर (राज.)
   9/2 उप पंजीयक धोरीमन्ना।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसीवास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा

तारीख रजू:– 19/08/21

अधिवक्ता:–

01. श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक:– 27/12/22

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के विरुद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 92क, 188 व 209 रा. का. अधिनियम के तहत श्रीमान् के न्यायालय में सरहद मौजा जाणियों की बेरी, पटवार मण्डल राणासर कलां, तहसील धोरीमन्ना के संयुक्त खातेदारी की खसरा [illegible] 8909 हैक्टैयर किस्म बारानी सोयम अवस्थित है, उपर्युक्त सहखातेदारी की [illegible] वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी संख्या 1 का 1/24 हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा, [illegible] संख्या 3 का 1/30 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 5 का [illegible] 24 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 6 का 1/30 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 7 का 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 8 का 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 9 का 1/30 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 10 का 1/24 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/30 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 31/516 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.14 11:17:57 IST
Reason: SelfAttested

27/12/22
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

1/30 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 का 1/12 व 1/43 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 6 का 1/24 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के साथ संयुक्त रूप से सहखातेदार दर्ज है। तथा संयुक्त खातेदारी के उक्त खसरा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य विभाजन नहीं हो रखा है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को कब्जे काश्त से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं एवं अप्रार्थीगण अपने हिस्से से अधिक प्रार्थीगण के हिस्से में हस्तक्षेप कर रहे हैं तथा सिंचाई के साधनों आदि को ध्वस्त करने पर आमादा है, साथ ही सहखातेदारी के खेत को अप्रार्थीगण किसी अजनबी क्रेता को बेचान करने में यदि सफल हो जाते हैं तो न्यायालय में वाद बहुलता बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी लिहाजा अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जावे कि वे खुद या किसी अन्य सहयोगियों के माध्यम से प्रार्थीगण के हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे और न ही उक्त खसरे की आराजी को अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित करे और न ही पक्का व कच्चा निर्माण करें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिए रजि. डाक तलब किया गया, अप्रार्थीगण को भेजे गए नोटिसों की डाक रसिदें अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा पेश की गई, अप्रार्थीगण को नोटिस भेजे गए आठ महीने से ज्यादा का समय हो जाने के बावजूद अप्रार्थीगण हाजा न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर विस्तारपर्वूक सुनी, हमने पत्रावली एवं उस पर राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, हम प्रकरण का अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं :–

1– प्रथम दृष्टया मामला :– इसका अर्थ यह कतई नही है कि मामला .पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थीगण को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो, साथ ही वादपत्र एवं उसके साथ उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से ये विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि यदि प्रतिवादी/अप्रार्थीगण के द्वारा सक्षम साक्ष्य के आधार पर वादपत्र को ध्वस्त नहीं कर दिया गया तो वादी के पक्ष में डिक्री होगा। चूंकि प्रार्थीगण खुद सहखातेदार है और उनके द्वारा बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा चाहा गया है एवं उनके हिस्से तक का दावा डिक्री होने की पूर्ण संभावना है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला अपने हिस्से तक प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

2– सुविधा का संतुलन :– अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा के संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यदि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो वादीगण/प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी। चूंकि भू–अभिलेख के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी [illegible] सहखातेदारी की आराजी है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/24 हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 का [illegible], प्रार्थी संख्या 3 का 1/30 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 5 का 1/24 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 6 का 1/30 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 7 का 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या [illegible] का 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 9 का 1/30 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 10 का 1/24 हिस्सा है और यह मान्य सिद्धांत है कि जब तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक सहखातेदारी भूमि में प्रत्येक

27/12/22
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.14 11:17:57 IST
Reason: SelfAttested

सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर अपने हिस्से तक अधिकार माना जाता है इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होता है।

3– अपूरणीय क्षति :– चूंकि पूर्व विवेचित दोनों बिंदू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुके हैं साथ ही प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र पर यह कथन किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान/निर्माण किया जा सकता है और इस बात से इंकार भी नहीं किया जा सकता और अगर ऐसा होता है तो प्रकरण के सम्यक निर्णयन में जटिलता अवश्यंभावी आएगी, चूंकि बेचान होने से नए खातेदार आएंगे और इससे मौके पर परिवर्तन हो सकता है जिससे बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स का निर्धारण करने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है इसलिए वादग्रस्त आराजी की वर्तमान स्थिति को सुरक्षित रखना प्रकरण के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए आवश्यक है और ऐसा नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को क्षति कारित होने की प्रबल संभावना रहेगी।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादीगण/प्रार्थीगण तीनों बिंदुओं यथा प्रथम दृष्ट्या मामाला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं, लिहाजा अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना को मूल वाद के निपटारा होने तक स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते हैं।

–:: आदेश ::–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत् अस्थाई व्यादेश भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वे सरहद मौजा–जाणियों की बेरी, पटवार मण्डल–राणासर कलां, तहसील–धोरीमन्ना के संयुक्त खातेदारी के खसरा संख्या 87 रकबा 27.8909 हैक्टैयर किस्म बारानी सोयम आराजी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में ताफैसला वाद परिवर्तन ना करें और ना ही उक्त आराजी का बैचान, रहन या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण करें। पत्रावली इसी कदर फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

27/12/22
(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 27/12/2022 **को खुले सर–ए–इजलास सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.14 11:17:57 IST
Reason: SelfAttested

27/12/22
(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर